

28-5-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल शेव
केन्द्र ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रस्तुत हुयी। वादी का
के वकील उपस्थित। प्रतिवादी गण की ओर से
परोकार सरकार नाथ व तहसीलदार अनियारा
उपस्थित। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली
एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। नकल अलाटमेंट क्रमांक दिनांक
8-1-83 से आवंटन खसहाकार क्षमिति के
द्वारा लड्डू पुत्र टाखिह जाते गार्ड निवासी
बालीधल को साक्षिक रक्कत कुल किला 6
कुल रकबा 5 बीघा 7 बिखवा कीमत अवस्था
की गई है। परोकार सरकार ने
कीमत शुरू जमा कराने पर जवाबदारी लिये
जाने में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

शलगुन १-१५ की नकल अनुसार दाम शाराजी

खण्ड १२२ (कला ०-७१) व २३५ (कला ०-५३)

कारे ग्राम जालीधल पर वादीगण

पिता/पति का कब्जा / अधिकार दर्ज

है। बाद वादीगण डिडी किया जाता है

अतः तदुसीअनुसार शाराजी को

अपेक्षित किया जाता है कि वादीगण

द्वारा प्रस्तुत अंकित आदेश दिनांक

८-१-८३ (मि.नं ५३/८३) अनुसार

किसी शारी जमा करने पर शाराजी

खण्ड $\frac{122}{0-71}$, $\frac{235}{0-53}$ हे कारे ग्राम

जालीधल वादीगण की शाराजी में

दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को सुरक्षित

करने पर कार्य रूक जा रही है। यथा वसी

कैलसमुअनुसार होकर नकल के रूप में

तथा दफ्तर दाखिल है

अधिकारी
राज्य सरकार (राज्य)

(मूल वाद मे डिकी)

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्रा0प0 बालीथल

उनवान

- 1.कमला बेवा लड्डू जाति नाई निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
- 2.ओमप्रकाश पुत्र लड्डू जाति नाई निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
- 3.शंकर पुत्र लड्डू जाति नाई निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
- 4.जगदीश पुत्र लड्डू जाति नाई निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादीगण

बनाम

- 1.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक
- 2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 20 वर्ष 2015

वादीगण की ओर से ओ0पी0माहुर वकील वादीगण प्रतिवादी की ओर से परोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 28.5.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 8.1.83 (मि0न0 43/83) अनुसार कीमत राशि जमा कराने पर आराजी ख0न0 122/0.71, 234/0.43 है0 वाके ग्राम बालीथल तहसील उनियारा वादीगण के खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करे। फरीकेन खर्च अपना अमना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 5 सन् 2015 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा टोंक
उनियारा जिला टोंक